

2. Answer to (a) was given after collecting the necessary material from the State Government, who had reported that no such incident had either been reported or had come to notice. As regards (b) & (c) an assurance was given. Subsequently, however, the State Government has reported that further enquiries have revealed that Khaliyans of some Harijans had been set on fire by a Brahmin, as a result of enmity.

3. In the light of the information now furnished by the State Govern-

ment the following correction may be made in the reply given earlier to the unstarred question :—

For '(a) No such incident has come to the notice of the State Government'.

Substitute:—Yes. A Khaliyan in which grains of 35 Harijan families had been kept was set on fire by a Brahmin, due to enmity.

For part (b) & (c) the information is as under :

- (b) whether the incidents of inhuman atrocities on backward classes by the Caste Hindus in Madhya Pradesh are on the increase;
- (c) if so the action taken by Government to check them?

According to the State Government there is no indication that incidents involving backward classes and Caste Hindus in Madhya Pradesh are on the increase.

Does not arise.

(4) CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION No. 5466, DATED 23-8-1968 REGARDING CONDUCT OF S.D.M., SADAR (TRIPURA)

the Minister of Education to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :—

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

The following answer was given to part (d) of the unstarred Q. No. 5466 on 23-8-1968 :

- (d) It is not possible to give information on this point as a certified copy of the Judgement has not yet been received by the Government of Tripura.

The above answer may be substituted by the following :

- (d) A certified copy of Judgement of Judicial Commissioner was received by the Govt. of Tripura on 22nd August, 1968 and the contents of the Judgement are being examined for necessary action.

12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

NON-IMPLEMENTATION OF KOTHARI COMMISSION RECOMMENDATIONS

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : I call the attention of

Non-implementation of Kothari Commission recommendations on Primary teachers etc. in U.P., Bihar, West Bengal and other States.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : The recommendations of the Education Commission in respect of the remuneration of school teachers are divided into three parts :—

- (1) There should be a minimum scale of pay for school teachers in all parts of the country and it should be left open to individual States to adopt these or higher scales of pay in accordance with local conditions;

- (2) The minimum scale of pay for school teachers who are matriculates and have received two years of training should be Rs. 150-250 with a selection grade of Rs. 250-300 for 15 per cent of the cadre; and for trained graduates the scale of pay should be Rs. 220-400 with a selection grade of Rs. 400-500 for the same percentage of the cadre. These

scales of pay are inclusive of dearness allowance as on 31st March, 1966.

- (3) Liberal central assistance should be given to State Governments for improving the salaries of school teachers as recommended. (*Shri Jyotirmoy Basu* : Should be or will be ?) I am reading the recommendations.

2. It has not been possible for the Government of India to accept the first recommendation.

3. It has also not been possible to accept the third recommendation. All central assistance to the States is given either for plan programmes or for non-plan and committed expenditure. It has now been decided that the proposal for improvement of salaries of teachers or any other public servant should not be regarded as a plan programme. The assistance for non-plan or committed expenditure is given on the recommendations of the Finance Commission. This takes into consideration all non-Plan or committed expenditure including that on account of any improvement in the salaries of teachers to which the State Governments might have given effect. But it is not generally earmarked for any specific scheme.

4. The recommendations of the Education Commission were therefore forwarded to the state Governments for their consideration in the light of their local conditions. The understanding was that, to the extent these recommendations are actually implemented by any State Government, their liabilities on this account would be duly taken into consideration by the Finance Commission while making its proposals for grant-in-aid to State Funds from the Consolidated Fund of India.

5. The State Governments have not been able to accept the recommendations of the Education Commission and to give effect to them in toto. But all of them have taken steps, ever since the Report of the Education Commission was published, to improve the remuneration of school teachers. In some

States, the dearness allowances were increased and made equal to the Central dearness allowance. In other States, Pay Commissions were appointed to revise the salaries of all public servants and effect has been or is being given to them. As a result of this, the remuneration of school teachers has, in general, improved considerably during the last three years. It is true that a part of this increase has been offset by the increase in the prices. But even if allowance is made for it, there has been some improvement in the remuneration of teachers in most States.

6. The Government of India attach great significance to improvement in the emoluments of teachers and are concerned about the conditions in this regard which now obtain in certain areas. However, under the provisions of the Constitution, it is primarily the responsibility of the State Governments to provide appropriate salary scales for primary and other teachers. The Ministry of Education will continue to use its good offices to see that the remuneration of teachers is improved in all States to the maximum extent possible.

SHRI JYOTIRMOY BASU : This Government is not very anxious to prepare individuals in this country to be responsible and useful citizens. I am quoting what Dr. Kothari has said, that the role of primary education is to prepare individuals to be responsible and useful citizens. This Government has made a mess of the whole of primary education.

Primary education in West Bengal is in deep chaos. In rural areas it is guided by the Act of 1930 made by the Britishers. The West Bengal Urban Primary Education Act of 1963 which replaced the Act of 1919 has been accepted by only 13 municipalities so far out of 88 in the State. Calcutta, the biggest city in India, and the tea garden areas in the State are outside the jurisdiction of this Act. The repeated long-standing demand of the primary school teachers to replace the old Act by a new one covering the whole State has been refused by the Congress Government during its regime of two decades.

[Shri Jyotirmoy Basu]

I have to ask some categorical questions of Dr. Sen who said in his speech of 27th March, 1968, "After so many years it is so bad in Bengal really". What is the most that he is willing to do with regard to the charter of demands which has been presented to the Prime Minister by the deputationists who came to Delhi the other day, about their salaries, about constituting a Primary Education Grants Commission ?

Dr. Sen was presiding over a tripartite meeting with the West Bengal Education Minister, the West Bengal Education Department officials and the representatives of the All Bengal Primary Teachers' Association, when an assurance was given that a comprehensive Act would be enacted and brought into force. Now it has been proved that that was nothing but a hoax. I would like to know what he has done in regard to primary education especially in West Bengal since his wonderful speech in the House on 27th March, 1968.

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : Mr. Basu has raised certain questions particularly regarding the West Bengal Government. I know that the Act governing primary education in West Bengal and that it had to be modernised. I took up the matter after I assumed office with the then Government of West Bengal. I personally discussed it with the Education Minister, Mr. Bhattacharjee. I proposed that we should sit together and change the Act, improving the status and conditions of service of the teachers. But I am afraid and sorry to say that perhaps he had no time to consider it. (Interruptions) I am only explaining my stand. Then I took it up with the Government of West Bengal recently. We sat together and they have assured me that, in consultation with the teachers, they will draft an Education Act for the State and send it here for acceptance by the Government. I am told that, because it is a caretaker Government, they do not like to enact it. But they will place it before the popular government when the General Election is over after 2 or 3 months. (Interruptions)

The second question refuse to the discussion with the Prime Minister. I would like to inform the House that the Prime Minister did meet the members of the Primary Teachers' Federation with some Congress. M.Ps. and she explained to them, with all sympathy, what the difficulty is, particularly in the case of U.P.

The third question relates to the appointment of a Primary Education Grants Commission. It is known to everybody that education, particularly at the school stage, is a State subject and that we cannot have any Primary Education Grants Commission. (Interruptions)

श्री श्रीचन्द्र गोयल (बुधश्रीगढ़) : मंत्री महोदय को इस बात का ज्ञान है कि आसाम, उड़ीसा और दूसरे प्रदेशों से हजारों की संख्या में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक यहां पर आये। इस में शायद उन को अपनी एक एक महीने की तस्ववाह खर्च करनी पड़ी होगी। मैं शिक्षा मंत्री को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि वह कोठारी कमीशन के भी माननीय सदस्य रहे हैं और जो हमारी पालियामेंट की कमेटी बनी थी, उस के वह अध्यक्ष रहे हैं। इन दोनों आयोगों ने यह सिफारिश की है कि अध्यापकों को सम्मान का स्थान मिलना चाहिए। आज अध्यापकों ने यह मांग की है कि संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के अध्यापकों के चुनाव-क्षेत्रों में उन्हें भी मतदान करने का अधिकार दिया जाये। आज इस प्रकार की विषमता है कि जो प्राइमरी टीचर किसी सैकंडरी स्कूल में नौकरी करता है, उस को तो मतदान का अधिकार है, परन्तु उस से भी योग्य अध्यापक यदि किसी प्राइमरी स्कूल या मिडल स्कूल में पढ़ाता है, तो उस को मतदान का अधिकार नहीं है। यदि मंत्री महोदय सचमुच अध्यापकों को सम्मान का स्थान देना चाहत हैं, तो इस सम्बन्ध में

इस प्रकार का उचित संशोधन करने में उन्हें क्या आपत्ति है ?

जैसा कि मैंने अभी कहा है, इन दोनों आयोगों ने यह सिफारिश की है कि अध्यापकों को सम्मान का स्थान मिलना चाहिए। आज मैं मंत्री महोदय की सेवा में निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अध्यापकों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव फंड इकट्ठा करने के लिए अध्यापकों को विवश किया जा रहा है कि पांच, दस या सौ रुपये की टिकट खरीदें। मेरे पास उत्तर प्रदेश कांग्रेस चुनाव फंड की इस प्रकार की पचासों रसीदें हैं। अगर हम अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए अध्यापकों का दुरुपयोग करेंगे, तो समाज में उन्हें सम्मान का स्थान कैसे मिलेगा ?

इन दोनों आयोगों ने यह भी सिफारिश की है कि देश से अध्यापकों के वेतनों में जो विषमता है, उस को दूर किया जाना चाहिए। आज स्थिति यह है कि पंजाब में प्राइमरी टीचर को प्रारम्भ में 223 रुपये मिलते हैं, जब कि उत्तर प्रदेश में उस को 110 रुपये मिलते हैं। इसी प्रकार पंजाब में रिटायर होते समय उस को 446 रुपये मिलते हैं और उत्तर प्रदेश में 125 रुपये मिलते हैं। ये सारे आयोग नियुक्त करने और उन की सिफारिशों पर विचार करने के बाद क्या आज केन्द्र इन विषमताओं को दूर करने के सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है ? क्या हम संविधान में इस प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते कि प्राइमरी शिक्षा को भी कान्फ्रेट सबजेक्ट बना दिया जाये ? जब हम ने हायर सेकंडरी शिक्षा और यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए आयोग मुकर्रर किये, तो हम प्राइमरी शिक्षा के लिए एक आयोग मुकर्रर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आज इस बात की जरूरत है कि सब जगह पर एक स्टैंडर्ड आफ एजुकेशन

हो, एक प्रकार की पद्धति हो और अध्यापकों को एक प्रकार के वेतन मिलें ?

श्री भागवत झा आजाद : इस में कोई दो राये नहीं हो सकती—और मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूँ—कि शिक्षकों को सम्मान का स्थान मिलना चाहिए। जैसा कि अभी जवाब में कहा गया है और जैसा कि माननीय प्रधान जी ने शिक्षकों को कहा है, हम समझते हैं कि समाज में शिक्षकों का एक विशेष स्थान है और उन को उस के अनुसार उचित सम्मान मिलना चाहिए।

जहां तक विधान परिषदों के लिए चुनाव का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य का प्रश्न स्पष्ट नहीं है। प्राइमरी शिक्षक इस समय मतदान तो करते ही हैं, लेकिन उन चुनावों में उन्हें मतदान करने और उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अवसर दिया जाये या नहीं, यह सभी सम्बद्ध लोगों से बात करने का विषय है।

माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव फंड के लिए शिक्षकों से पैसे लिये जाते हैं। यह बहुत दुख की बात है। कुछ सदस्य कहते हैं कि जनसंघ वाले उन से पैसे लेते हैं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : इस की जांच की जाये।

श्री कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : इस समय जो एलीगेशन लगाया गया है, क्या मंत्री महोदय उस की एन्कवायरी करने के लिए तैयार हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं स्पष्ट कर दूँ कि अगर कोई राजनैतिक पार्टी, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या जनसंघ, शिक्षकों से अपने चुनाव-फंड के लिए जबरन पैसा लेती है, तो वह आपत्तिजनक है और हम उस के विरुद्ध हैं (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक की तन्द्वाह 110 रुपये है। यह प्रकट है कि यह तन्द्वाह

[श्री भगवत झा झाजाद] :

बहुत कम है। हम पूरी सहानुभूति के साथ इस बात का समर्थन करते हैं कि शिक्षा आयोग ने उन्हें 150 रुपये तन्स्वाह देने को जो मिफ्रागिश् की है, उस को कार्यान्वित करना चाहिए और उन्हें वह तन्स्वाह मिलनी चाहिए।

माननीय सदस्य ने इस बारे में पंजाब सरकार का उदाहरण दिया है। निष्चय ही पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने अपने शिक्षकों के वेतनों को बढ़ाया है। उन्होंने यह बड़ी हिम्मत का काम किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी है। इस बारे में हम बिहार सरकार की भी सराहना करने हैं कि सब से कम औगत आय होने के बावजूद उन्होंने इस सिद्धान्त को मान लिया है और उन वेतनमानों को लागू किया है। हम आशा करते हैं कि और राज्य सरकारें भी ऐसा ही करेंगी।

जहां तक प्राइमरी शिक्षा को कानक्रेन्ट सबजेक्ट बनाने का प्रश्न है, आप जानते हैं कि इस प्रश्न पर विभिन्न रायें हैं। जब सभी राज्य सरकारें इस बारे में महमत होंगी, तभी ऐसा हो सकेगा।

SEVERAL HON. MEMBERS *rose-*

MR. SPEAKER : Order, order. I am on my legs. Now, if one allegation is made, a counter-allegation will be made. If one Member says that the Congress people collected, another Member may say that the Jan Sangh people had collected. Better avoid such things on both sides.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुगदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में श्री सी० वी० गुप्ता के नाम पर कांग्रेस फंड इकट्ठा हो रहा है (व्यवधान)

श्री इसहाक सम्मली (अमरोहा) : इस बारे में एनक्वायरी कराई जाये।

श्री श्रीचन्व गोयल : यह भेरे पास "उत्तर प्रदेश चुनाव फंड" की रसीद है।

में ऐसी पचास रसीदें पेश करता हूं। ये लोग एक रसोद तो पेश करें (व्यवधान)

MR. SPEAKER : Order, order. He too may say something. I do not know what information he had; this information or that information. One should not be angry. All I say is that the allegations are on both sides. I do not know.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : He made an allegation and a counter-allegation was made. He should either deny the allegation or accept the demand for an enquiry.

श्री लखनलाल कपूर (किशनगंज) :

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक प्राइमरी शिक्षकों के वेतनमानों और उन की सर्विस कन्डीशन्ज का प्रश्न है, हमें यह याद रखना चाहिए कि वे लोग हमारे राष्ट्र-निर्माता हैं और देश के भावी नागरिक तैयार करने की जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन आज देश में उन के प्रति डिसक्रिमिनेशन हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि राष्ट्र-निर्माता कहे जाने वाले इन लोगों का वेतन-मान साधारण पुलिस कांस्टेबल के वेतन से भी कम पड़ता है। रिजर्व बैंक के जो प्यूनस हैं उन के वेतन से भी बहुत नीचे है। यह एक अफसोसनाक बात है। सरकार कहती है बार-बार कि यह चूकि सेंट्रल सबजेक्ट नहीं है यह स्टेट सबजेक्ट है इस लिए स्टेट सबजेक्ट कह कर वह इन बातों को बार-बार टालती रही है। समझ में बात नहीं आती है कि आखिर यह जो प्राइमरी ट्यूटीज है यह किस की है? जब कि हम अपने बच्चों को वहां उन के पास डालते हैं, भावी नागरिक बनने के लिए देश का (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 21 वर्षों से बार-बार यह प्राइमरी टीचर्स अपनी मांगों को रख रहे हैं, मिल रहे हैं, मेमोरेण्डम दे रहे हैं, एजीटेशन कर रहे हैं, इस के बावजूद भी इन की कोई

सुनवाई नहीं हो रही है और उन के साथ इस तरह से अन्याय किया जा रहा है। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार संविधान में संशोधन लाकर पूरे हिन्दुस्तान की शिक्षा पद्धति को अपने हाथ में लेगी ?

दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बैंकवर्ड क्लासेज के लिए पार्लियामेंट के सदस्यों की एक स्टेड्यूटरी वाडी है उसी तरह से इन शिक्षकों के लिए भी एक हाई पावर कमेटी पार्लियामेंट के मेम्बरों के द्वारा बना कर क्यों नहीं यह प्रयत्न किया जाय कि वह उन के ऊपर ध्यान दे उन के रहन-सहन, पे और उनकी निर्विग आदि के बारे में ?

दूसरे, उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के पंचायत परिषद् के अध्यक्ष और कांग्रेस के और लोग टीचरों से चन्दे ले रहे हैं। इस के विषय में मैं जानना चाहता हूँ, आज आप का कहना है कि आप इस की इन्क्वायरी करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या टीचरों ने खुद शिक्षा मंत्री से इस की शिकायतें की हैं या नहीं की हैं और अगर की हैं तो कौन सी कार्यवाही आप करने जा रहे हैं ?

इन तीन बातों की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाते हुए उत्तर चाहता हूँ कि क्या संविधान में संशोधन लाने जा रहे हैं ? क्या स्टेड्यूटरी वाडी बनाने जा रहे हैं और यूनिफार्म तरीके की शिक्षा और शिक्षकों के वेतन आदि की व्यवस्था सारे हिन्दुस्तान में लाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं ?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, जैसा आप ने कहा, सरकार ने साफ यह बताया है कि आज हिन्दुस्तान में प्राइमरी शिक्षकों को कांस्टेबल और प्यूनस से भी कम तनख्वाह मिलती है। सदस्य महोदय न पूछा कि यह वास्तव में जबाब-देही किस की है और हम इस को टालना चाहते हैं, इसके लिए हम ने कहा कि हम

इस को टालना नहीं चाहते हैं। हमारी पूरी सहानुभूति उन के साथ है। मगर विधान में स्पष्ट यह बात है कि यह जबाब-देही वास्तव में राज्य-सरकारों की है। हम विधान के प्रतिकूल काम नहीं कर सकते हैं।

जो प्रश्न आप ने पहले पूछा था कि संशोधन कर के कानकॉरेंट बनाना चाहते हैं या नहीं तो संशोधन कर के कानकॉरेंट बनाने में सभी राज्य सरकारों की सहमति चाहिये। बिना उन की सहमति के हम इस में कुछ कर नहीं सकते हैं।

जहां तक यह बतलाया कि कोई उन की सुनवाई नहीं हुई, जैसा मैंने स्टेटमेंट में कहा है, यह कहना गलत है कि सुनवाई नहीं हुई है। पिछले वर्षों में तमाम राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कदम उठाए हैं और उन की तनख्वाह बढ़ाई गई है। उदाहरण के लिए पंजाब का मैं बता सकता हूँ, हरयाना का बता सकता हूँ, बिहार का बता सकता हूँ। महाराष्ट्र में कमीशन बिठाया था, उस की रिपोर्ट आ गई है। यह बात सच है जितना उन को इन जगहों में मिला है, जहां-जहां नहीं मिला है, जैसे उत्तर प्रदेश में, वहाँ मिलना चाहिए। हमारी पूरी सहानुभूति है उस में।

पार्लियामेंट की कोई कमेटी हम नहीं बिठा सकते क्यों कि यह राज्य सरकारों का विषय है।

श्री लखन लाल कपूर : कोठारी कमीशन बिठाने की फिर क्या जरूरत थी ? ढाई वर्षों से वह मांग कर रहे हैं आप ने क्या किया ?

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I would begin by offering my heartfelt thanks to you. During the last six months, you have given opportunity twice in this House to raise the issue of 30 lakhs of primary teachers of our country, the most neglected community in free India today. It is a known

[Shri Samar Guha] precept that many makers of our nation repeatedly pronounced that primary education is the primary cradle which casts the basic characteristics of our future generations. But, unfortunately, even after twenty years primary education has been most callously ignored and the primary school teachers happen to be the most neglected part of our community. It is a matter of shame for all of us that more than 10,000 primary school teachers from all over the country, from Assam to Kerala and Tamilnad, spending all the money they earn for a month, had to come to Delhi and demonstrate before Parliament only for a basic minimum pay of Rs. 150 per month. This is a shame not only for the government but, I should say, for all of us. I know there are certain basic difficulties, inherent difficulties for the Education Ministry. Immediately they would say that primary education and secondary education are State subjects. They will also say: what can we do with our limited finances when the planners of our country have decided that they should make more investment in other spheres of development than in education?

I shall take up first the issue of Concurrent Subject. In the reply of the Minister he has said that in regard to this the understanding is that the liabilities on this account of any State in implementing it would be taken into consideration by the Finance Commission while making its proposal for grant in aid to the State Funds from the Consolidated Fund of India. When the Central Government agree to make an offer of grant in aid and when the UGC and the Central Government are making a good provision for helping State education in the university and college sphere what stands in the way of bringing education in the Concurrent List? If you can bring education in the Concurrent List, then there is the possibility of the Education Minister at the Centre and the Education Ministers in the States sitting together and preparing a concrete scheme. That is the basic question.

MR. SPEAKER: Let him come to his question.

SHRI SAMAR GUHA: I have almost completed. I will appeal to the Finance Minister and I will remind him of one of the utterances of Netaji Subhas Chandra Bose.

MR. SPEAKER: How does Netaji come in in the matter of primary school teachers?

SHRI SAMAR GUHA: He is the father of Indian planning. Do not forget that. He was the first to institute the Planning Commission in the pre-independence days. In his historic speech in 1944 in Tokyo while he was laying priorities for development work of free India, after national defence he gave the second priority to education. Investment in education will be a long-term and real investment in the development of the country, he said. With this preamble. I want to ask the Education Minister, firstly, what concrete steps have been taken by the Education Minister, in co-operation with the State Ministers of Education, to implement the recommendation of the Education Commission in which it has been stated that a minimum wage of Rs. 150 plus dearness allowance should be assured to all categories of primary school teachers and what steps have been taken in co-operation with the State Education Ministers to ensure for a contributory provident fund, gratuity and pension for the primary school teachers; secondly, what steps have been taken by the Education Ministry to offer loans and advances to primary school teachers for rehabilitation purposes in the areas in North Bengal, Midnapur, North Bihar, Assam and Orissa and certain other areas which suffered heavily as a result of floods; thirdly, what steps have been taken by the Central Education Ministry to integrate the different authorities of primary education in different States in India into a uniform authority so that primary education in different States can be run in a uniform way with a uniform perspective; fourthly what steps have been taken to draw up a programme, in consultation with the Planning Commission, for utilisation of the services of the primary school teachers, particularly in the rural areas, for adult education, family planning propaganda,

social and cultural activities and other social projects whereby giving them a scope for getting additional remunerations; lastly, whether the Government is going to set up a national board of primary and secondary education as suggested by the Education Commission in the light of the fact that they have already accepted this in the case of the UGC.

MR. SPEAKER : The reply need not be as long as the question.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : So far as the first point is concerned it is about the concurrent list and I have already answered that. As to the second point about the UGC and the money that we gave for college teachers, higher education and co-ordination being a Central subject as is known, we did agree for five years to give a certain percentage with the hope that State Governments also will fulfil their constitutional obligation regarding primary and secondary education.

SHRI SAMAR GUHA : At least the Minister should say something.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : That was our hope. About the minimum as I have said, we have got no legal *locus standi* to prescribe a minimum when it is entirely in the State List; so, we cannot do it. Secondly, we cannot prescribe a minimum because the teachers' salary scales in different States, for example in Madras, are linked with that of other employees of the Government and the moment we point out to them about this, they say that it would be difficult for them to separate them. About loans and other things, we are doing this along with others and State Governments. About putting different primary education authorities under one authority, it depends upon the State Act on education. We tried to persuade the West Bengal Government to bring forward an Act about that but they could not do it; they could not find time for it. So far as the other point is concerned, we do try and see that their services are used. Lastly, about the national board, I have already replied.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में प्राइमरी शिक्षा देने के लिये चार प्रकार के स्कूल काम कर रहे हैं। एक स्कूल वे हैं जो मॉन्टसेरी सिस्टम पर काम कर रहे हैं। दूसरे वे हैं जो पब्लिक स्कूल के रूप में चलते हैं और तीसरे वे हैं क्रिश्चियन सोसायटियों के द्वारा चलाये जाते हैं। हमारे देश के अधिकांश बड़े-बड़े व्यक्ति, चाहे वे शिक्षा से सम्बन्धित हैं या दूसरे विभागों से सम्बन्धित हैं, इन की अपनी सन्तानें इसी प्रकार के स्कूलों में पढ़ती हैं। इस लिये इन को कुछ पता नहीं है कि जिला परिषद् या म्युनिस्पल बोर्डों के द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा के स्कूल संचालित होते हैं, उन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

डा० सेन को स्मरण होगा कि नेशनल इन्टीग्रेशन कान्फ्रेंस में इस बात पर विशेष बल दिया गया था कि प्राथमिक शिक्षा के पैटर्न में एकरूपता लाने के लिये हमारे देश में प्रयास किया जाय। मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिशा में आपने क्या प्रयास किया है?

जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है— पता नहीं, शिक्षा मंत्री को उत्तर प्रदेश की सरकार ने सही जानकारी भेजी है या नहीं भेजी है। मेरे हाथ में उस आदेश की प्रतिलिपि है जो उत्तर प्रदेश शासन के डिप्टी सैक्रेटरी श्री लक्ष्मी कान्त ने शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को 21 अगस्त, 1968 को भेजा है। इस में उन्होंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक अध्यापकों का वेतन-क्रम क्या है। उन्होंने लिखा है कि प्रधान अध्यापक—75 रु० वेतन और 40 रु० मंहगाई भत्ता, सहयोगी अध्यापक—70 रु० वेतन और 40 रु० मंहगाई भत्ता, अनट्रेण्ड अध्यापक—50 रु० और 40 रु० मंहगाई भत्ता। म्युनिस्पल बोर्ड के स्कूलों में पढ़ानेवाले अध्यापकों का वेतन 50 रु० और मंहगाई

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

भत्ता 30 रु० यानी केवल 80 रु० प्रतिमास । मुझे पता नहीं श्री श्रीचन्द जी गोयल और श्री भागवत झा आजाद को यह गलत सूचना कहां से मिल गई । जब कि उन का मर्कुलर मेरे पास है ।

30 अक्टूबर को गृह-मंत्री श्री यशवन्त राव चव्हाण की अध्यक्षता में लखनऊ में उत्तर प्रदेश की सलाहकार समिति की बैठक हुई थी । उस में प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के सम्बन्ध में जो टिप्पणी दी गई थी, उस में भी स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़े दिये हैं । जब कि हरियाणा के अन्दर अध्यापक को 197 रु० और 352 रु० प्रतिमास मिलता है, पंजाब में 218 रु० और 357 रु० प्रतिमास मिलता है । अध्यक्ष महोदय, आज के युग में उत्तर प्रदेश एक ऐसा अभाग्य प्रान्त है, जिसके प्राइमरी अध्यापक का वेतन 80 रु०, 103 रु० और 110 रु० प्रतिमास तक है । इस का कारण क्या है ? कारण केवल मात्र यह है कि खेर कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि राज्यों को अपनी आय का 10 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करना चाहिये । लेकिन उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है, जो अपनी आय का केवल 6 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करता है और 14 करोड़ रुपये इस तरह से प्राथमिक शिक्षा का काट लेता है । 14 करोड़ रुपये में जो केन्द्र का हिस्सा मिलना चाहिये, वह उस को नहीं मिल पाता है । अगर यह इक्कीस करोड़ रुपये प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को मिल जाय तो उन को भी पूरा वेतन मिल सकता है ।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए विवश करेगी कि वह भी अपनी आय का अन्य राज्यों की भांति 10 प्रतिशत भाग प्राथमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में व्यय

करे ताकि उनकी दयनीय स्थिति में सुधार हो सके । उत्तर प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भी आज 105 रु० प्रतिमास मिलता है, अध्यापकों की स्थिति उन से भी दयनीय है ।

तीसरे—उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा जिला बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के हाथ में निकाल कर सरकार अपने हाथ में ले ताकि इस दयनीय स्थिति को सम्भाला जा सके । क्या इस विषय में सरकार कुछ निर्णय लेने के बारे में विचार कर रही है ?

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Before the Minister replies, I just want to raise a relevant point. In this connection, there was a recommendation... (Interruption)

MR. SPEAKER : Order, order. The hon. Minister.

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, ..

SHRI SAMAR GUHA : Through you, I requested the Minister...

MR. SPEAKER : Order, order. The Minister is on his legs.

श्री भागवत झा आजाद : नेशनल इन्टीग्रेशन कौंसिल में जो निर्णय लिये गये थे, उन के सम्बन्ध में प्रकाशवीर शास्त्री जी ने ठीक ही कहा है । उस कौन्सिल की बैठक में सिर्फ केन्द्रीय सरकार ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा मुख्य मंत्री भी उपस्थित थे तथा बहुत से निर्णय किये गये थे । उन प्रश्नों पर हम उन से बराबर बातचीत कर रहे हैं कि जिन प्रश्नों पर निर्णय लिये गये थे, उन को अमल में लाया जाय ।

आपने यह भी ठीक कहा है कि उत्तर प्रदेश के अध्यापकों की स्थिति आज सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में सब से अधिक दयनीय है, क्योंकि वहां पर अधिकांश को 80 रु० मिलता है । यह भी सही है कि वहां पर ट्रेण्ड टीचर को पहले 80 रु०, फिर बढ़ा कर 100 रु० और अभी हाल में जो

निर्णय लिया गया है। उम के अनुसार प्राथमिक, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का वेतन 110 रु० कर दिया गया है। जो उन के प्रधान अध्यापक हैं, उन का वेतन 115 रु० कर दिया गया है, जो मिडिल स्कूल के अध्यापक हैं उन का वेतन भी 115 रु० कर दिया गया है और उन के प्रमुख का 120 रु० किया गया है। लेकिन फिर भी बहुत से अध्यापकों का वेतनमान अभी भी 80 रु० है।

आपने हरियाणा का उदाहरण दिया। मैंने पहले कहा था कि हरियाणा और पंजाब सरकारों ने अपने ही रिमोसेज से, हम से बिना मदद लिये वैसा किया है। विहार की सरकार ने भी बिना हम से मदद लिये शिक्षकों के वेतनमानों को सिद्धान्तः स्वीकार किया है और तीन वर्षों में वहां के शिक्षकों की राय के अनुसार कार्यान्वित करना शुरू किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ज्यों ही उत्तर प्रदेश में नई सरकार आयेगी, वह इस के बारे में कुछ निर्णय करेगी। मैं यह भी बतला दूँ—उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के 12 लाख शिक्षक हैं, अगर सरकार उन को 150 रु० भी देना शुरू करे तो उस के लिये 10 करोड़ रुपया चाहिये, इतनी बड़ी धनराशि बिना एडीशनल रिमोसेज के सम्भव नहीं है, इस लिये मैं आशा करता हूँ कि नई सरकार इस पर निर्णय करेगी। (व्यवधान)

जहां तक 10 प्रतिशत के लिये विवश करने का प्रश्न है, हम राज्य सरकारों को विवश नहीं कर सकते, लेकिन बराबर कोशिश करेंगे कि राज्य सरकारें अपने धन का अधिक से अधिक प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करें।

PAPERS LAID IN THE TABLE

INTERIM REPORT OF FIFTH FINANCE COMMISSION

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE

(SHRI MORARJI DESAI) : I beg to lay on the Table a copy of the Interim Report of the Fifth Finance Commission together with an explanatory memorandum showing the action taken thereon, under article 281 of the Constitution. [Placed in Library. See No. LT—2128/68.]

ANNUAL ACCOUNTS OF THE KANDLA PORT TRUST AND ANNUAL ACCOUNTS OF MORMUGAO PORT TRUST

THE MINISTER OF TRANSPORT AND SHIPPING (DR. V. K. R. V. RAO) : I beg to re-lay on the Table :

- (1) A copy of the Annual Accounts of the Kandla Port Trust for the year 1966-67 and the Audit Report thereon, under sub-section (2) of section 103 of the Major Port Trust Act, 1963. [Placed in Library. See No. LT-1837/68.]
- (2) A copy of the Annual Accounts of the Mormugao Port Trust for the year 1966-67 and the Audit Report thereon, under sub-section (2) of section (103) of the Major Port Trust Act, 1963. [Placed in Library. See No. LT-2129/68.]

ANNUAL REPORTS OF INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, AHMEDABAD, INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BOMBAY, ETC.

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : I beg to lay on the Table :—

- (1) A copy of the Annual Report of the Indian Institute of Management, Ahmedabad for the year 1967-68 along with the Audited Accounts.
- (2) A copy of the Annual Report of the Indian Institute of Technology, Bombay, for the year 1967-68.
- (3) A copy each of the Annual Report of the Indian Institute